न्यायालय उपखण्ड अधिकारी फागी जिला जयपुर

मुकदमा नम्बरः– 26 / 2022
निर्णय दिनांकः 23.01.2024
पीठासीन अधिकारी– राकेश कुमार II (आर.ए.एस.)

1. रसाल देवी धर्मपत्नि गोवर्धन जाति जाट निवासी ग्राम केरिया तहसील फागी जिला जयपुर राजस्थान।

वादीया

बनाम

1. बाबूलाल पुत्र रामलाल जाति जाट निवासी ग्राम केरिया तहसील फागी जिला जयपुर राजस्थान।
2. शाखा प्रबन्धक राजस्थान मरूधरा ग्रामीण बैंक शाखा फागी तहसील फागी।
3. तहसीलदार फागी तहसील फागी जिला जयपुर।
4. उपपंजीयक फागी तहसील फागी जिला जयपुर।

प्रतिवादीगण

उपस्थित अधिवक्ता:– श्री गोपाल लाल चौधरी अधिवक्ता वादी
श्री शिवराज चौधरी अधिवक्ता प्रतिवादी सं. 1

वाद घोषणा व स्थाई निषेधाज्ञा

निर्णय दिनांक:– 23.01.2025

वाद पत्र के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि इस न्यायालय द्वारा पूर्व मे विवादग्रस्त आराजी वाके ग्राम केरिया के सम्बन्ध मे दिनांक 13.11.2024 को प्राथमिक निर्णय व डिक्री किया जाकर तहसीलदार फागी को निर्णय व डिक्री की प्रति भेजकर नक्शा व कुरेजात दो दो प्रतियों में भिजवाने हेतु लिखा गया। तहसीलदार फागी द्वारा अपने पत्र क्रमांक / LR / 2024 / 2634 दिनांक 26.12.2024 के द्वारा नक्शे – कुरेजात प्रस्तुत किये गये। प्रस्तुत नक्शा व कुरेजात का अवलोकन वकील वादी व वकील प्रतिवादीगण को कराया गया। वकील वादीया ने नक्शा कुरेजात पर कोई आपत्ति प्रकट नही की। बहस सुनी गई। बहस के दौरान वकील वादी ने मुताबिक नक्शा कुरेजात दावा अन्तिम डिक्री किये जाने का निवेदन किया। वकील प्रतिवादीगण ने मुताबिक नक्शा – कुरेजात डिक्री किये जाने पर कोई आपत्ति प्रकट नही की।

अतः तहसीलदार फागी द्वारा भिजवाये गये नक्शा कुरेजात को गलत माननें का कोई आधार नही है। वादीया का वाद मुताबिक नक्शा – कुरेजात अन्तिम डिक्री किया जाना उचित है।

अतः वादीया का वाद निम्नानुसार डिक्री किया जाता है तथा इसी अनुसार लगान फेटबन्दी किये जाने के आदेश दिये जाते है। मुताबिक निर्णय डिक्री पर्चा जारी हो। मुताबिक निर्णय व डिक्री राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

लगातार.................2

उपखण्ड अधिकारी
फागी

क्र. स	नाम खातेदार मय वल्दियत	खसरा नम्बर	रकबा	किस्म	लगान
1	बाबूलाल जाट पुत्र रामलाल जाट हिस्सा 50 / 119 जाति जाट सा. देह खातेदार	413 / 1	0.6323	बारानी 3	
	योग	किता 1	0.6323		
2	रसाल देवी पत्नी गोवर्धन हिस्सा 69 / 119 जाति जाट सा. देह खातेदार राहिन हिस्सा 69 / 119 (पूर्ण खाता) राजस्थान मरूधरा ग्रामीण बैंक शाखा फागी	413 / 2	0.8725	बारानी 3	
	योग	किता 1	0.8725		

निर्णय आज दिनांक 23.01.2025 को सरे इजलास सुनाया गया।

23/01/25
(राकेश कुमार II)
उपखण्ड अधिकारी
फागी जिला जयपुर

नोट:- बाबूलाल जाट पुत्र रामलाल जाट हिस्सा सम्पूर्ण जाति जाट सा. देह खातेदार व रसाल देवी पत्नी गोवर्धन हिस्सा सम्पूर्ण जाति जाट सा. देह खातेदारान राहिन हिस्सा सम्पूर्ण रा. म. ग्रा. बैंक शाखा फागी पढ़ा जावें।

उपखण्ड अधि...
फागी

रसाल देवी वगै0 बनाम बाबूलाल वगै0
मु0न0:— 26 / 2022
निर्णय दिनांकः— 23.01.2025

डिक्री मुकदमा इब्तदाई

(ओ.20 रूल 6–7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत— उपखण्ड अधिकारी फागी (जयपुर)

बइजलास— **राकेश कुमार II (आर.ए.एस.)**

उनवान

1. **रसाल देवी धर्मपत्नि गोवर्धन जाति जाट निवासी ग्राम केरिया तहसील फागी जिला जयपुर राजस्थान।**

वादीया

बनाम

1 **बाबूलाल पुत्र रामलाल जाति जाट निवासी ग्राम केरिया तहसील फागी जिला जयपुर राजस्थान।**
2. **शाखा प्रबन्धक राजस्थान मरूधरा ग्रामीण बैंक शाखा फागी तहसील फागी।**
3. **तहसीलदार फागी तहसील फागी जिला जयपुर।**
4. **उपपंजीयक फागी तहसील फागी जिला जयपुर।**

प्रतिवादीगण

::— वाद घोषणा व स्थाई निषेघाज्ञा ::—

मु0न0:— 26 / 2022

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू वकील वादीया श्री गोपाल चौधरी हाजिर रूबरू वकील प्रतिवादीगण श्री शिवराज चौधरी मिनजानिब मुदायलह पेश होकर पेश होकर हुक्म दिया जाता है **अतः वादीया का वाद निम्नानुसार डिक्री किया जाता है तथा इसी अनुसार लगान फेटबन्दी किये जाने के आदेश दिये जाते है। नक्शा — कुरेजात निर्णय डिक्री के पार्ट होगे।**

निज......0......मुबलिग..........0..........बाबत......0......
..............0..............खर्चा इस मुकदमे के मय सूद बशरह......0......
..........0......फीसदी..........सालाना आज की तारीख से तारीख अदायगी तक......0
.... का अदा करे।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 23.01.2025 को जारी की गई।

दस्तखत........ 23/1/25
उपखण्ड अधिकारी
फागी

मुहर

ओहदा..................

सत्यमेव जयते

मुदई	रूपये	पैसे	मुदायलह	रूपये	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प वजह सबूत महन्ताना वकील खर्चा गवाहान फीस कमीश्नर बबत इजराय हुक्मनामा मुतफरिक मीजान	NIL		स्टाम्प अर्जी दावा स्टाम्प अर्जी महन्ताना वकील खर्चा गवाहान फीस कमीश्नर बबत इजराय हुक्मनामा मुतफरिक मीजान	NIL	

क0प0उ0

उपखण्ड अधिकारी
फागी

रसाल देवी वगै0 बनाम बाबूलाल वगै0
मु0न0:– 26 / 2022
निर्णय दिनांकः– 23.01.2025

क्र.स		नाम खातेदार मय वल्दियत	खसरा नम्बर	रकबा	किश्म	लगान
1	क्र.स	नाम खातेदार मय वल्दियत	खसरा नम्बर	रकबा	किस्म	
	1	**बाबूलाल जाट पुत्र रामलाल जाट हिस्सा 50 / 119 जाति जाट सा. देह खातेदार**	413 / 1	0.6323	बारानी 3	
2		**योग**	किता 1	0.6323		
	2	**रसाल देवी पत्नी गोवर्धन हिस्सा 69 / 119 जाति जाट सा. देह खातेदार राहिन हिस्सा 69 / 119 (पूर्ण खाता) राजस्थान मरूधरा ग्रामीण बैंक शाखा फागी**	413 / 2	0.8725	बारानी 3	
3		**योग**	किता 1	0.8725		

उपखण्ड अधिकारी फागी जिला–जयपुर

निर्णय आज दिनांक 23.01.2025 को सरे इजलास सुनाया गया।

23/1/25

(राकेश कुमार II)
उपखण्ड अधिकारी फागी
उपखण्ड अधिकारी
फागी जिला जयपुर

सत्यमेव जयते

नोट:- बाबूलाल जाट पुत्र रामलाल जाट हिस्सा सम्पूर्ण जाति जाट सा. देह खातेदार व रसाल देवी पत्नी गोवर्धन हिस्सा सम्पूर्ण जाति जाट सा. देह खातेदार राहिन हिस्सा सम्पूर्ण (पूर्ण खाता) रा. म. ग्रा. बैंक शाखा फागी पढ़ा जावें।

उपखण्ड अधिकारी
फागी